न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 2/2017/अ.अं. धारा 111 भूराअ

मीरा देवी पत्नी नारायण लाल उम्र 47 वर्ष जाति कुमावत निवासी प्लाट नं0 29 वीर हनुमान नगर, करघनी के पास कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जिला जयपुर

– प्रार्थीया/आवेदिका

ब ना म

1. भगवानाराम पुत्र मांगूराम
2. सोहनलाल पुत्र नारायण लाल
3. चावली बेवा नारायण लाल
4. पोखर } पुत्रगण नारायण
5. भोपाल
6. रामपाल } पुत्रगण नारायण
7. गोपाल

   समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. कंवरी देवी पत्नी शंकरलाल जाति जाट नि. सामोता की ढाणी तन लापुंवा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. मूला पुत्र सुण्डा जाति कुम्हार निवासी ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. पारादेवी पत्नी बेगाराम चौधरी जाति जाट नि. बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. भगवानाराम } पुत्रगण गणेश
12. प्रभात
13. बदरीलाल
14. छोटूराम
15. भागोती } पुत्रियां गणेश
16. संतोष
17. गीता
18. मूली
19. लच्छी देवी पत्नी स्व. गणेश
20. सोहन पुत्र स्व. गणेश
21. पन्ना लाल } पुत्रगण खेमा
22. छीगन लाल
23. मदन लाल

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

24. बिदामी
25. नर्बदा
26. संज्या
} पुत्रियां खेमा

27. पेमाराम
28. बंशी लाल
} पुत्रगण बालूराम

जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

29. मंदिर मूर्ति श्री बालाजी महाराज जरिये पुजारी बालकिशन पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण नि. लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

30. पानादेवी बेवा गोविन्द राम

31. प्रमोद कुमार
32. विनोद कुमार
} पुत्रगण गोविन्द राम

33. अशोक कुमार पुत्र गोविन्दराम

34. गोकुल नारायण
35. स्वरूप नारायण
} पुत्रगण म्हालचन्द

36. सुरेन्द्र कुमार
37. मुरलीधर
38. प्रकाश चन्द
39. कैलाशा चन्द
40. राकेश
} पुत्रगण हर्षनारायण

41. शुभम पारीक पुत्र पवन कुमार
42. सोनल पारीक पुत्री पवन कुमार
43. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हर्ष नारायण

जाति पुरोहित निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

44. भागीरथ
45. गोरधन
} पुत्रगण मांगूराम

जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

46. महेन्द्र पूनियां पुत्र जग्गूराम जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

47. पन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

48. नारायण लाल पुत्र सेडूराम जाति कुमावत निवासी प्लाट नं0 29 (कुमावतों की ढाणी हरनाथपुरा) वीर हनुमान नगर, करघनी के पास कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जिला जयपुर

49. भंवरीदेवी पत्नी रामावतार

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

50. कुसुमलता
51. हेमलता
52. उषादेवी
53. संतोष
54. मिन्टूकुमारी
} पुत्रियां रामावतार

जाति पुरोहित निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

55. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत सीमा विवाद के निपटारे हेतु

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थीया की ओर से

निर्णय दिनांक 19/05/18

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा 351, 352, 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियां आवेदिका की एकल खातेदारी भूमियां है जिस पर आवेदिका काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 आवेदिका की भूमि खसरा नं. 351, 352 की उतरी पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में भूमि खसरा नंबर 321, 350 के खातेदार है तथा आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 351, 352 के दक्षिणी दिशा में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 353 है तथा आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 394 के उतरी दिशा में खसरा नंबर 373 गै.मु. रास्ता है एवं पूर्वी दिशा में भूमि खसरा नंबर 398 में खातेदारी मूर्ति मंदिर बालाजी महाराज ग्राम लाडपुर अनावेदक सं. 29 के नाम दर्ज है तथा पश्चिमी दिशा में अनावेदक सं. 9 ता 28 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 394 के दक्षिणी दिशा में खसरा नंबर 393, 395 अवस्थित है जिसके खातेदार अनावेदक सं. 30 ता 54 है। अनावेदक गण सं. 1 ता 54 आपस में मिलकर एक गिरोह बना रखा हैं। अनावेदक सं. 1 ता 54 आवेदिका की भूमि खसरा नबरा 351, 352 व 394 तथा अनावेदक सं. 1 ता 54 की भूमि खसरानंबर 321, 350, 353, 374, 393, 395, 398 के मध्य की सीमा को नष्ट भ्रष्ट कर मनमर्जी से अनावेदक सं. 1 ता 54 अपनी भूमि में मिलाने की फिराक में है। आवेदिका एवं अनावेदक सं. 1 ता 54 की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के मध्य सीमा विवाद के निपटारे हेतु नपती करवाई जाकर पुख्ता नींव सींव कायम किये जाने का आदेश किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अनावेदकगण सं. 1 ता 54 उपरोक्त भूमियों की मध्य

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

की सींव नींव को नष्ट भ्रष्ट कर नई तामीरात करके पुख्ता नया निर्माण करने को को आमादा है। अगर सीमा विवाद तय नहीं किया गया तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए नयी नक्शा सर्वेशीट के अनुसार उक्त भूमियों की नपती करवाई जाकर उक्त भूमि के मध्य पुख्ता नींव सींव कायम किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 351, 352, 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर व अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर 321, 350, 353, 374, 393, 395, 398 के मध्य भू प्रबन्ध की नयी नक्शा सर्वेशीट अनुसार उक्त भूमि के सीमा विवाद के निपटारे हेतु नपती करवाई जाकर पुख्ता नींव सींव कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। आवेदन के साथ फर्द सीमाज्ञान ग्राम लाडपुर खसरा नंबर 351, 352 व 394, 356 दिनांक 30.05.2016 एवं जमाबंदियों की नकलें पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 55 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 351, 352 व 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम से है तथा खसरा नंबर 321, 350, 353, 374, 393, 395, 398 के पड़ौसी खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 ता 54 के नाम से है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 54 के द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर दखलंदाजी की जा रही है। प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजियात का तहसीलदार, दांतारामगढ से सीमा ज्ञान करवाया जा चुका है एवं सीमाज्ञान के अनुसार सीमा विवाद का निपटारे हेतु पुख्ता नींव सींव कायम किये जाने का निवेदन है।

4. हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 222 के खसरा नंबर 351, 352, 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 की खातेदारी प्रार्थीया के नाम से अंकित है एंव खसरा नंबर 321, 350, 353, 374, 393, 395, 398 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 ता 54 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के द्वारा आवेदित भूमि खसरा नंबर 351, 352 व 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2016 करवाया गया है एवं सीमाज्ञान से पक्षकार संतुष्ट है। अतः सीमाज्ञान अनुसार सीमा विवाद निपटारे हेतु पुख्ता सीमा चिन्ह नींव सींव कायम किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2015 के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमियों खसरा नंबर 351, 352 व 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के सीमा चिन्ह नींव सींव (पत्थरगढी) किये जाने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नबर 351, 352 व 394 किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) पक्षकारान की उपस्थित में करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिन में प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद ली जावें।

5. यह आदेश आज दिनांक 19.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/04/18

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner